...रिक रूप देने के लिए इन्हें ...संहिताओं में समेटने जा रही है।

इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मातृत्व लाभ, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति जैसे कानूनों को सामाजिक सुरक्षा संहिता में समाहित किया जा रहा है। इससे सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी ... भुगतान कानून तथा समान परिलब्धियां जैसे कानूनों का विलय होगा। जबकि चौथी संहिता में औद्योगिक विवाद कानून, ट्रेड यूनियन कानून, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) जैसे कई वर्तमान कानूनों का समावेश होगा और इन अलग-अलग अधिनियमों के प्रावधानों को एक सारगर्भित कानून में समेट दिया जाएगा।

...पसंद करने का प्रस्ताव किया गया है।

बजट के इस प्रस्ताव के साथ ही कुछ अन्य प्रस्तावों को भी शेयरधारकों ने पसंद नहीं किया, जिसके कारण शुक्रवार को बीएसई के सेंसेक्स में करीब 395 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। गर्ग ने एक साक्षात्कार में कहा कि बाजार में दर्ज की गई गिरावट एक हलका झटका है। किसी ने संभवतः यह मान लिया कि मंत्री ने फैसला ले लिया है। इस चरण में यह फैसला नहीं है। (आइएएनएस)

पिछले सप्ताह आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अति-संपन्न व्यक्तिगत करदाताओं पर टैक्स की दरों में इजाफा कर दिया था। इसके तहत उन्होंने दो से पांच करोड़ रुपये तक कर-योग्य आय पर सरचार्ज मौजूदा 15 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद, जबकि पांच करोड़ रुपये से ज्यादा के कर-योग्य आय पर सरचार्ज 37 फीसद कर दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद दो से पांच करोड़ रुपये तक कर-योग्य व्यक्तिगत आय ...

आय... गया। कमज... टैक्स... आम... या ऐ... में देग... किए... ग... से पह...

...ड़े परीक्षणों के साथ आयुर्वेदिक दवाएं विकसित करने पर जोर

...ा पर धाक जमाएगा भारत

... के इलाज में प्रमुख दवाओं के ब्रांड का हिस्सा बन गया। इसी तरह डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सफेद दाग के इलाज के लिए ल्यूकोस्किन नाम की आयुर्वेदिक दवा विकसित की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में विकसित ये दवाएं ऐलोपैथी दवाओं को कड़ी टक्कर दे रही है।

आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में विकसित की गईं और सफल हो चुकीं आयुर्वेदिक दवाओं को बड़े पैमाने पर विदेशी बाजार में उतारने की तैयारी है। अभी तक पुराने तरीके से तैयार आयुर्वेदिक दवाओं को अमेरिका जैसे विकसित देश दवा के रूप में मान्यता नहीं देते थे। इस कारण उन्हें खाद्य पदार्थों की श्रेणी में बेचने की अनुमति दी जाती थी। यही नहीं, परंपरागत आयुर्वेदिक दवाओं में सीसे व अन्य रसायनों की अधिक मात्रा भी विदेशी बाजार में रुकावट का बड़ा कारण बनी हुई थी। लेकिन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने के बाद तैयार आयुर्वेदिक दवाओं के लिए यह समस्या नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ बढ़ते रूझान को देखते हुए विदेश में आयुर्वेद को भी योग की तरह बड़ी सफलता मिल सकती है। विश्व में बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराने में आयुष मंत्रालय की सबसे बड़ी चिंता देश के भीतर जड़ी-बूटियों की कमी की है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जड़ी-बूटियों की कमी को दूर करने के लिए किसानों को इन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके लिए अलग-अलग जड़ी-बूटियों के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान की जा रही है और किसानों को सामान्य फसलों के अलावा इन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जड़ी-बूटियों की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

वीडियोकॉन की कंपनि... सप्ताह में फैसला ले एन...

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को आदेश दिया कि वह वीडियोकॉन समूह की 15 कंपनियों के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी याचिका पर अगले तीन सप्ताह के भीतर आदेश दे। एनक्लैट ने कहा कि मामले की प्रकृति को देखते हुए बैंकों द्वारा दाखिल इन्सॉल्वेंसी याचिका पर एनसीएलटी को तीन सप्ताह में फैसला कर लेना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अगुआई वाले बैंकों के समूह और कंपनियों के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) द्वारा दाखिल याचिका पर एनक्लैट ने यह निर्देश दिया। बैंकों ने एनक्लैट से कहा था कि 25 जनवरी 2019 में ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी1 उसके बाद एनसीए... सुरक्षित रख... तक उसने ... नहीं दिया है।

...य, कार्यक्रम निदेशक
...ना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे
...दून, उत्तराखण्ड

...tivity — दिनांक 06.07.2019

गंगा की पवित्रता हम सबका उत्तरदायित्व
गंगा संरक्षण-जल संरक्षण-जीवन संरक्षण

...चना

... द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि गंगा ... जल प्रवाहित न किया जाय। नमामि ..., ऋषिकेश, मुनि की रेती, देवप्रयाग, ..., रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, ...नगरों में सार्वजनिक नालों को टैप कर ... जाने की परियोजनाएं पूर्ण हो गई है ... में सम्मिलित नालों के अतिरिक्त यदि .../औद्योगिक प्रतिष्ठानो आदि स्थलो से ...हो रहा है या किसी प्रकार से प्रदूषण हो ...परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे ...v.spmguttarakhand.uk.gov.in

कार्यक्रम निदेशक

मुख्यालय "गौरा देवी पर्यावरण भवन"
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून Web : www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक – यूईपीपीसीबी/एचओ/Noc-7193/19/432 — दिनांक 03.07.2019

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

M/s Balraj Associates द्वारा **ग्राम–किरोली, तहसील एवं जिला–बागेश्वर के 7.784 है0 क्षेत्र में 30,000 टन/वर्ष सोप स्टोन** माईनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा **Terms of Reference** निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :–

1. जिलाधिकारी, जनपद, बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय–देहरादून मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं कार्यालय नगर निगम, बागेश्वर में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति **www.ueppcb.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

M/s Balraj Associates द्वारा ग्राम–किरोली, तहसील–काण्डा, जिला–बागेश्वर के 7.784 है0 क्षेत्र में 30,000 टन/वर्ष सोप स्टोन माईनिंग हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई **दिनांक 21.08.2019 को प्रातः 11:00 बजे से निकट–सैम–जू मन्दिर, ग्राम–किरोली, जिला–बागेश्वर** में निर्धारित की गयी है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्र से सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, यू.ई.पी.पी.सी.बी., हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित् कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

दैनिक जागरण (7193)

		No.			Financial Years i.e. 2015-2016 2016-2017 & 2017-2018 (in ₹)		(in ₹)	Submission of tender in online & Offline mode	offline mode
1.	Stay Set GI 20x1800mm	CCP-I/14/ 2019-2020	10000 Nos.	46,90,000.00	1.41 Cr.	0.94 Lac	2,360.00	26.7.2019 upto 17:00 hrs.	27.7.2019 at 15:30 hrs.

For further details, please visit the website **www.uktenders.gov.in**

No. 352/EE(CM)/UPCL/A-2/Dt. 06/07/2019

SUPERINTENDING ENGINEER CORPORATE (C&P-I)

"SAVE ELECTRICITY IN THE INTEREST OF THE NATION" Use L.E.D. Bulb to save Electricity.
(Toll-Free No. 1912) "Pay Electricity bill online 24x7 from www.upcl.org".
(For information on Electricity theft; informer may report to Toll free No. 1800 180 4185 / Fax No. 0135-2760911

सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी/Semi-Conductor Laboratory

अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार/Department of Space, Government of India,
सेक्टर-72, सा.अ.सि.नगर(मोहाली) -160071, चंडीगढ के समीप(पंजाब) भारत
Sector -72, S.A.S. Nagar-160 071, Near Chandigarh (Punjab) India
फोन/Phone : +91-172-2296100/200/300/400 फैक्स:/Fax +91-172-2237410
ईमेल/Email: hps@scl.gov.in, website: www.scl.gov.in

अभिरूचि की अभिव्यक्ति / EXPRESSION OF INTEREST

संदर्भ: एससीएल/ईओआई-05/वीएमएफजी/2019 / Ref.:SCL/EOI-05/VMFG/2019 — दिनांक/Dated: 05.07.2019

निदेशक, एससीएल के लिए एवं उनकी ओर से सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी के प्रमुख क्रय एवं भण्डार, **8" वेफर फैब ऑटोमैटिक** में अनुभवी और सक्षम, तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले विक्रेताओं से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करते हैं। / For and on behalf of The Director, Head, Purchase & Stores, Semi-Conductor Laboratory (SCL) invites Expression of Interest (EOI) from experienced and competent vendors, having adequate technical expertise in **8" Wafer Fab Automation**

विवरण, योग्यता के नियम, चयन की विधि एवं कार्य के परिक्षेत्र को EOI दस्तावेज में EOI प्रतिउत्तर फार्म में दर्शाया गया है, जो एससीएल की वेबसाइट (**www.scl.gov.in**) / इसरो वेबसाइट (**www.isro.gov.in**) पर उपलब्ध है एवं इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। / Description, Eligibility Norm, Selection Criteria &Brief Scope of Work etc. mentioned in the EOI document along with EOI Response Form is available at SCL website (**www.scl.gov.in**) /ISRO website (**www.isro.gov.in**) and the same can be downloaded from the website.

अभिरूचि की अभिव्यक्ति मोहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय **Date & Time of Submission of Expression of Interest in Sealed Cover:**	**01.08.2019 upto 14:30 बजे/hrs (IST)**

प्रमुख, क्रय एवं भंडार प्रभाग/Head, Purchase & Stores Division

मुख्यालय "गौरा देवी पर्यावरण भवन"
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून Web : www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक – यूईपीपीसीबी/एचओ/Noc-7193/19/432 — दिनांक 03.07.2019

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

M/s Balraj Associates द्वारा ग्राम–किरोली, तहसील एवं जिला–बागेश्वर के 7.784 है0 क्षेत्र में 30,000 टन/वर्ष सोप स्टोन माईनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :–

1. जिलाधिकारी, जनपद, बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय–देहरादून मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं कार्यालय नगर निगम, बागेश्वर में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

M/s Balraj Associates द्वारा ग्राम–किरोली, तहसील–काण्डा, जिला–बागेश्वर के 7.784 है0 क्षेत्र में 30,000 टन/वर्ष सोप स्टोन माईनिंग हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई **दिनांक 21.08.2019 को प्रातः 11:00 बजे से निकट–सैम–जू मन्दिर, ग्राम–किरोली, जिला–बागेश्वर** में निर्धारित की गयी है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्र से सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, यू.ई.पी.पी.सी.बी., हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते है।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

Hindustan Time
7-7-19 UTTARAKHAND

7193

(7193)

8/7/19

No.	
1	Construction of Grair
2	Construction of Com at Nagpur District Na
3	Repair Works on Eng

Tender Document Sale Peri
Pre e Tender Conference
Bid Opening

Further Information of Above
1. http//tribal.maharashtra.
(Any change in related Te
2. Notice Board at Office Of

DGIPR/2019-2020/1073

This is
Janakpu
is in the
within o
of the
heading
vehicles
Road ar
Rajputa
month f

Inconv

मै0 बलराज एसोसियेट्स, द्वारा ग्राम–करूली, तह0 एवं जिला–बागेश्वर में 7.784 हेक्टेअर क्षेत्र में प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 21.08.2019 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 बलराज एसोसियेट्स, द्वारा ग्राम–करूली, तह0 एवं जिला–बागेश्वर के 7.784 हेक्टेयर में 30000 टन प्रतिवर्ष सोप स्टोन खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के अनुक्रम में दिनांक 21.08.2019 को प्रातः 11:00 बजे से ग्राम–करौली के सैमजू मंदिर के निकट, में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित के अनुसार इस प्रकार के उद्योग पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा रखने वाले उद्योगो की श्रेणी में आच्छादित हैं। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के क्रम में लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्राप्त हुआ था। इसी अनुक्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जनसुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण के दिनांक–08.07.2019 तथा हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक–08.07.2019 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये, परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश अभिलेख जनसामान्य के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी।

इसी अनुक्रम में दिनांक 21.08.2019 को अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें उप जिलाधिकारी बागेश्वर, उप निदेशक खनन बागेश्वर, तहसीलदार बागेश्वर तथा सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प0सं0 एवं प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी उपस्थित थे।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम **सहा0 पर्या0 अभियन्ता, श्री नरेश गोस्वामी** द्वारा लोक सुनवाई में आये हुए महानुभावों का स्वागत किया गया। इसी क्रम में उनके द्वारा उपस्थित जन सामान्य से अनुरोध किया गया कि परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् वे परियोजना के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियाँ सुझाव, टीका टिप्पणी आदि मौखिक अथवा लिखित रूप में दें ताँकि उनको सुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जा सकें एवं उनकी आपत्ति/सुझाव को सक्षम स्तर तक पहुँचाया जा सकें।

इसके पश्चात् परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार संस्था मैसर्स एनवायरो इन्फ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के **श्री विजय शर्मा** द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जन सामान्य को प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा लोकहित के उद्देश्य से परियोजना की भविष्य की योजना से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया।

इसके पश्चात् **अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर** द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं जन समुदाय का स्वागत किया गया। अपर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया गया कि वे इस महत्वपूर्ण लोक सुनवाई में अपने स्थानीय समस्याओं, सुझावों आदि को रखें ताकि, उन्हें इस माइनिंग के स्वीकृति की शर्तों में शामिल किया जा सके। उनके द्वारा ग्रामवासियों से यह भी आग्रह किया गया कि वे ग्राम स्तर पर अपने ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन इस प्रकार करें कि नदी नालो, गधेरे आदि साफ रह सकें तथा पेय जल के संग्रह टंकियों आदि को संक्रमण से बचाया जा सके।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने सुझाव एवं विचार रखे गये:-

1. **श्रीमती पार्वती देवी, ग्राम– करूली, तह0–बागेश्वर।**

श्रीमती पार्वती देवी द्वारा इनका मकान माइन्स क्षेत्र में आने पर तथा भविष्य में ऊपर व नीचे माइनिंग होने की दशा में पृथक व्यवस्था किये जाने की मांग की गयी। इनके द्वारा स्वच्छ पानी की व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया।

पट्टामालिक श्री बलवन्त सिंह बिष्ट द्वारा कहा गया कि माइनिंग से किसी भी प्रकार की समस्या गाँव वालों को नहीं आने दी जायेगी तथा कहा गया कि इस माइनिंग को आपसी सहयोग से संचालित कर इस गाँव को आदर्श ग्राम बनाकर राष्ट्रपति पुरूस्कार प्राप्त करेंगे। माइनिंग का संचालन एक परिवार की तरह किया जायेगा।

2. **श्री प्रकाशी लाल साह, ग्राम– करूली,।**

श्री प्रकाशी लाल साह द्वारा गाँव में सड़क न होने का विषय रखा गया तथा अन्य गाँवों की जमीन होने के कारण उनके द्वारा जमीन न दिये जाने से सड़क न बन पाने का विषय रखा गया। इनके द्वारा कहा गया कि जंगली सुअरों द्वारा खेती नहीं होने दी जा रही है। अतः इस प्रस्तावित माइनिंग से रोजगार उपलब्ध होगा।

इस पर **उपजिलाधिकारी, बागेश्वर श्री राकेश तिवारी** द्वारा कहा गया कि जमीन उपलब्ध हो जाने पर सड़क पर विचार किया जा सकता है। उनके द्वारा आगामी पंचायत चुनाव में अच्छे जन प्रतिनिधियों के चुनाव किये जाने का आग्रह किया गया। उनके द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपनी समस्याओं, सुझाव व टीका टिपण्णी से पैनल को अवगत कराने का आग्रह किया गया।

3. **श्री पप्पू लाल साह, ग्राम– करूली।**

इनके द्वारा पर्यावरण की व्यवस्था, रास्तों के रखरखाव व मंदिर के सौन्दर्यीकरण का विषय रखा गया।

इस पर पर्यावरण सलाहकार श्री शर्मा द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रस्तावित माईन द्वारा विभिन्न मदों में धनराशि खर्च किया जाना है। क्षेत्र की आवश्यकतानुसार उन मदों पर खर्च किया जायेगा।

4. **श्री ब्रहम लाल साह, ग्राम– करूली।**

इनके द्वारा कहा गया कि इनका मकान सड़क के ऊपर है तथा माइनिंग उससे ऊपर होनी है। उनके द्वारा मलवा उनके मकान में आने की आशंका व्यक्त करते हुए उसके उचित रखरखाव व व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया।

पट्टा स्वामी श्री बलवन्त सिंह बिष्ट द्वारा कहा गया कि माइनिंग से निकलने वाले मिट्टी को वहीं पर स्थित गहरी जगहों में भरा जायेगा, जिससे पुनः खेत तैयार हो सके। उनके द्वारा कहा गया कि यदि उनकी माइनिंग से उनके मकान को कोई नुकसान होने की सम्भावना होगी तो उसे वाल आदि बनाकर सुरक्षित रखा जायेगा।

5. **श्री सूरज साह, ग्राम– करूली।**

इनके द्वारा भविष्य में पेयजल व्यवस्था के बारे में पूछा गया तथा कहा गया कि माइनिंग क्षेत्र में हमारे पेयजल का श्रोत है।

इस पर पर्यावरण सलाहकार श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि पानी के किसी भी श्रोत को विचलित नहीं किया जायेगा बल्कि उसकी सुरक्षा हेतु और अधिक उपाय किये जायेंगे। पेयजल की व्यवस्था हेतु माइन द्वारा कुछ धनराशि सुरक्षित रखी गयी है।

6. **श्री सुन्दर लाल साह, ग्राम– करूली।**

इनके द्वारा खनन से रास्ते आदि के टूटने एवं रोजगार के विषय पर माइन द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में पूछा गया।

इस पर पर्यावरण सलाहकार श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि रास्तों का रखरखाव किया जायेगा एवं स्थानीय लोगों को ही योग्यतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

इसके पश्चात् **श्री लेख राज, उपनिदेशक खनन, बागेश्वर** द्वारा कहा गया कि विभिन्न क्षेत्रों की माईनो में विभिन्न प्रकार की समस्यायें हो सकती है, जिन्हें आज इस लोक सुनवाई मे उठाया जाना चाहिये। उनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित माइनिंग को और अच्छा बनाने के लिए आपके सुझाव एवं सहयोग आवश्यक हैं। उनके द्वारा उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया गया कि वे अपनी बात मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से दें एवं यह भी सम्भव न हो पाने की दशा में अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति को कहकर भी अपनी बात रखी जा सकती है।

7. **श्री सूरज साह, ग्राम– करूली।**

उनके द्वारा माइनिंग से खेत मालिक को होने वाले फायदे के बारे में पूछा गया और कहा गया कि प्रस्तावित माइनिंग के द्वारा सड़क का निर्माण भी क्यों न करा दिया जाये। इस पर गाँव की महिला श्रीमती पार्वती देवी द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। इनके द्वारा मंदिर के सौन्दर्यीकरण किये जाने की भी मांग की गयी।

पट्टा स्वामी श्री बलवन्त सिंह बिष्ट द्वारा कहा गया कि यदि प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध होगा तो प्रस्तावित माइनिंग में मशीनों आदि को लाये जाने वाले रास्तों को ही सड़क बना दिया जायेगा।

उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा कहा गया कि यदि क्षेत्र के लोग जमीन देने को तैयार हो तो प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को उपलब्ध कराये। इस पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

8. **श्रीमती राधा देवी, ग्राम– करूली।**

उनके द्वारा अपने मकान की सुरक्षा के बारे में पूछा गया।

इस पर श्री बलवन्त सिंह बिष्ट द्वारा कहा गया कि यदि हमारी माइनिंग से किसी के भी मकान को प्रभाव पड़ेगा उसे दूर किया जायेगा।

9. **श्री सुनील कुमार अभियन्ता, जिला पंचायत, बागेश्वर ।**

उनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित माइनिंग क्षेत्र में यदि जिला पंचायत के कोई निर्माण कार्य आ रहे हों तो उनकी सुरक्षा की जाये।

इस पर पर्यावरण सलाहकार श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि इस प्रकार के निर्माण कार्यों पर यदि वे माइनिंग क्षेत्र में आ रहे है तो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

10. **श्री ईश्वर लाल साह, ग्राम– करूली।**

इनके द्वारा कहा गया कि खेत मालिकों के खेतों पर खनन होने से पूर्व उचित पैमाइश की जानी चाहिये जिससे पट्टामालिकों द्वारा खेत वापस किये जाने पर वैसा ही स्वरूप खेत मालिक को मिल सके जैसा कि पूर्व में था। इनके द्वारा अपने पुराने आम के वृक्ष की सुरक्षा की भी मांग की गयी।

इस पर पर्यावरण सलाहकार श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि उनके वृक्षों की रक्षा करते हुए और भी अधिक वृक्षारोपण किया जायेगा। श्री बलवन्त सिंह बिष्ट द्वारा कहा गया कि माइनिंग से पूर्व खेतों की पैमाइश क्षेत्रीय पटवारी, द्वारा की जाती है। उसी अनुसार कार्य किया जायेगा।

अन्त में **अपर जिलाधिकारी बागेश्वर** द्वारा कहा गया कि हम लोग लोक सुनवाई के उद्देश्य को पूर्ण करने में काफी हद तक सफल रहें। उनके द्वारा कहा गया कि क्षेत्र वासियों, माता, बहनों के सुझावों को अभिलिखित कर लिया गया है। उनके द्वारा पट्टास्वामी से कहा गया कि वे वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग करें एवं प्रस्तावित स्वीकृति की शर्तो के अनुसार ही माइनिंग करें। उनके द्वारा खेत मालिको से लिखित एग्रीमेन्ट के पश्चात ही खनन कार्य किये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे भविष्य में प्रशासन, खेत मालिक तथा प्रस्तावक के मध्य स्पष्टता रहे। उनके द्वारा सी.एस.आर. पर खर्च किये जाने वाली धनराशि को स्थानीय लोगो की प्राथमिकता के आधार पर खर्च किये जाने का अनुरोध किया गया। अन्य कोई सुझाव, टिका टिप्पणी आदि प्राप्त न होने पर लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जनसुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जनसमुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(नरेश गोस्वामी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प0सं0 एवं प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी

(आर0के0 गोयल)
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर
अपर जिला अधिकारी
बागेश्वर

पर्यावरण

मैसर्स बलराज एसोसिएट्स,
ग्राम - करौली - तहसील एवं जिला-बागेश्वर, उत्तराखंड
लोकसुनवाई स्थल - निकट सेम जू मन्दिर ग्राम-करौली, तहसील एवं जिला-बागेश्वर में
तिथि : 21 अगस्त 2019 प्रातः : 11:00 बजे
आयोजक :- उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी
मैसर्स बलराज एसोसिएट्स

Bisleri

आयोजक :- उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण
परियोजना
बलराज
सलाहकार : एनवायरो
लिमिटेड

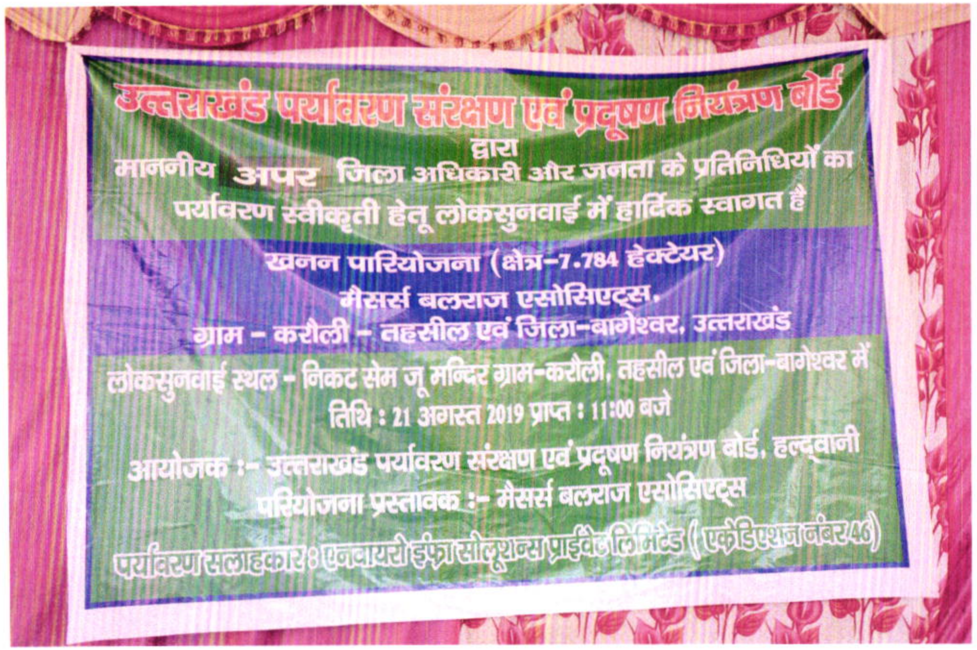
उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा
माननीय अपर जिला अधिकारी और जनता के प्रतिनिधियों का
पर्यावरण स्वीकृती हेतू लोकसुनवाई में हार्दिक स्वागत है
खनन पारियोजना (क्षेत्र-7.784 हेक्टेयर)
मैसर्स बलराज एसोसिएट्स,
ग्राम - करौली - तहसील एवं जिला-बागेश्वर, उत्तराखंड
लोकसुनवाई स्थल - निकट सेम जू मन्दिर ग्राम-करौली, तहसील एवं जिला-बागेश्वर में
तिथि : 21 अगस्त 2019 प्राप्त : 11:00 बजे
आयोजक :- उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी
परियोजना प्रस्तावक :- मैसर्स बलराज एसोसिएट्स
पर्यावरण सलाहकार : एनवायरो इंफ्रा सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड (एकेडिएशन नंबर 46)

Superdry

PIRIT

Superdry

उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा
माननीय अपर जिला अधिकारी और जनता के प्रतिनिधियों का
पर्यावरण स्वीकृति हेतू लोकसुनवाई में हार्दिक स्वागत है
खनन परियोजना (क्षेत्र-7.784 हेक्टेयर)
मैसर्स बलराज एसोसिएट्स,
ग्राम - करौली - तहसील एवं जिला-बागेश्वर, उत्तराखंड
लोकसुनवाई स्थल - निकट सेम जू मन्दिर ग्राम-करौली, तहसील एवं जिला-बागेश्वर में
तिथि : 21 अगस्त 2019 प्राप्त : 11:00 बजे
आयोजक :- उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी
परियोजना प्रस्तावक :- मैसर्स बलराज एसोसिएट्स
पर्यावरण सलाहकार : एनवायरो इंफ्रा सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड (एक्रेडिएशन नंबर 46)

आयोजक :- उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण